न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 206/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. खेताराम दत्तक पुत्र घमण्डाराम जाति मेघवाल निवासी बैइकलां तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. देवाराम पुत्र हापू 2. माधू पुत्र बाबू 3. सोहनी पुत्री सुखा 4. भूरा पुत्र दूदाराम 5. पुना पुत्र दुदाराम फौत के का.मु. 5.1 भंवरी बेवा पूना 5.2 सेणाराम पुत्र पूना 5.3 कचू पुत्री पूना 5.4 शोभा पुत्री पूना 5.5 कानाराम पुत्र पूना फौत के कायम मुकाम 1. अणदाई पत्नि कानाराम 2. निकेश पुत्र कानाराम 6. तिलाराम पुत्र जगाराम 7. हड्मान पुत्र जगाराम 8. पप्पू पुत्र भगाराम 9. दिना पुत्र भगाराम 10. नेमा पुत्र भगाराम 11. भगाराम पुत्र जगाराम जातियान मेघवाल निवासीगण बैइकलां तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.07/11/2017**

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम भाटी एवं जगदीश सोलंकी, अधिवक्तागण, वादी।
2. श्री राकेश वैष्णव, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 28/05/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा–बैइकलां, पटवार हल्का–बैइकलां, तहसील–जैतारण में वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जें काश्त की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 219 रकबा 5–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 504/4 रकबा 00–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 535 रकबा 10–08 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। उपरोक्त आराजी की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी दावा के साथ पेश की जा रही

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

है जिसे दावा का एक आवश्यक भाग माना जावें। यह कि वादी के पिता घमण्डाराम पुत्र दूदाराम अविवाहित थे जो अविवाहित रहते अपने जीवनकाल में अपनी समाज की रीति रिवाज एवं सामाजिक स्तर, परम्परा अनुसार से वादी को बचपन में ही गोद ले लिया था। वादी के दत्तक पिता घमण्डाराम पुत्र दूदाराम द्वारा वादी को गोद लिया उस समय वादी के प्राकृतिक माता पिता ने वादी को अपनी स्वेच्छा से घमण्डाराम पुत्र दूदाराम के गोद दे दिया और समाज के गणमान्य व्यक्तियों की मौजुदगी में वादी के पिता घमण्डाराम पुत्र दुदाराम ने वादी को अपनी गोद में बिठाकर रस्म भी अदा कर दी थी। वादी का राशन कार्ड व आधार कार्ड में भी खेताराम के पिता का नाम घमण्डाराम दर्ज है जो वादी घमण्डाराम के गोद जाने के आधार पर ही बनाया गया है। वादी जब घमण्डाराम पुत्र दुदाराम के गोद चला गया उस समय ही वादी ने अपने प्राकृतिक माता पिता की चल व अचल सम्पति में से अपना हक त्याग दिया। और वादी के पिता अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति थे जो कानून की जानकारी कम रखते थे तथा वादी के प्राकृतिक पिता व दतक पिता घमण्डाराम पुत्र दुदाराम ने आपस में कभी विधिक रूप से गोदनामा करवाने की आवश्यकता महसूस नहीं की इस कारण वादी को गोद लिये जाने बाबत् कोई विधिक/पंजीकृत गोदनामा नहीं करवाया। वादी के पिता घमण्डाराम पुत्र दुदाराम की मृत्यु दिनांक 29/03/2017 को ग्राम बैड़कलां में हो चुकी है वादी के पिता मृत्यु पर धार्मिक एवं सामाजिक संस्कार का निर्वहन भी वादी ने ही किया था तथ गंगाप्रसादी इत्यादि भी वादी द्वारा किया गया था तथा घमण्डाराम पुत्र दुदाराम के वृद्धावस्था के समय वादी ने ही सेवा चाकरी एवं देखरेख की थी। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी के पिता घमण्डाराम पुत्र दुदाराम अपने जीवन काल में अपने हक हिस्से की भूमि से काबिज खातेदार काश्तकार थे उनकी मृत्यु के पश्चात् अब वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर खातेदार काश्तकार है और शांति पूर्वक उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है वादी के पिता घमण्डाराम की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी अपने नाम का नामान्तरणकरण दर्ज करवाने पटवारी कार्यालय में उपस्थित हुआ तो संबंधित हल्का पटवारी द्वारा वादी के नाम का नामान्तरणकरण दर्ज करने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि आप घमण्डाराम पुत्र दुदाराम के गोद पुत्र हो इसलिए आपके पास कोई पंजीकृत दस्तावेज गोदनामा इत्यादि नहीं है इसलिए आपका उक्त म्यूटेशन में दर्ज नहीं कर सकता इसलिए आप उक्त म्यूटेशन के लिए कोर्ट से आदेश करवाकर लेकर आ जाओं तब आपका यह म्यूटेशन दर्ज किया जायेगा। वादी के पिता घमण्डाराम पुत्र दुदाराम के देहान्त हो जाने पश्चात् उक्त खसरान की भूमि का घमण्डाराम के हिस्से की भूमि पर वादी बतौर मालिक एवं खातेदार काश्तकार की हैशियत से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है इसलिए वादी के दतक पिता घमण्डाराम के स्थान पर उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का विधिक रुप से अधिकारी है। उक्त आराजी में वादी अपने दतक पिता घमण्डाराम के हिस्से की भूमि पर काश्त करे या किसी से करवाये तो उसमें प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे न ही किसी से करवाये जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें। बिनाय दावा दिनांक 24/5/2017 को बमुकाम बैड़कलां में उत्पन्न हुआ उक्त खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम से नामान्तरणकरण दर्ज करवाने हेतु पटवार कार्यालय में उपस्थित हुआ तब हल्का पटवारी द्वारा यह कहते हुए नामान्तरकरण दर्ज करने से इंकार कर दिया कि जब तक गोदनामा बाबत कोई पंजीकृत दस्तोवज प्रस्तुत नहीं करते हो या फिर न्यायालय द्वारा कोई आदेश लाकर नहीं देते है तब तक उक्त नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है पटवारी द्वारा स्पष्ट इंकार कर देने पर बमुकाम बैडकलां में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है जो अन्दर म्याद पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
रैलनाथ (पाली)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रति0 संख्या 1, 4, 6, 7, 11 बावजूद सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5/1 से 5/4, 6 से 8, 9, 10, 11 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जिसे सा0मि0 किया गया। वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 05 फौत के विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 22 नियम 4 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक एवं तलबाना पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प-बैड़कलां में पेश हुई। मजमा-ए-आम में वादी एवं प्रतिवादीगण को समझाईश की गई, मजमा-ए-आम में वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपस में सहमति व्यक्ति की एवं वादी मय अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 2,3,4,5/1,6,7,11 मय अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 5/3, 5/5, 8, 9 व 10 की ओर से जरिये अधिवक्ता एक लिखित राजीनामा पेश किया कि वाद-पत्र में वर्णित आराजी में वादी खेताराम को स्वर्गीय घमण्डाराम पुत्र दुदाराम का दत्तक पुत्र मानकर यानि विधिक उत्तराधिकारी मानकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें, तो उसमें हम प्रतिवादीगण को कोई आपति एतराज नहीं हैं। लोक अदालत कैम्प-बैड़कलां में राजीनाम को तस्दीक किया जाकर सा0मि0 किया गया।

पत्रावली मय दस्तावेजात, राजीनामा एवं साक्ष्य शपथ-पत्र वाद में साथ प्रस्तुत राशनकार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति का गहनत से अध्ययन किया गया। घमण्डाराम पुत्र दूदाराम अविवाहित था। घमण्डाराम ने खेताराम को सामाजिक रीति-रिवाज से गोद ले लिया। घमण्डाराम की जमीन पर खेताराम ही काश्त करता हैं। उसका ही कब्जा काश्त हैं। लिहाजा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-बैड़कलां, पटवार हल्का-बैड़कलां, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जें काश्त की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 219 रकबा 5-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 504/4 रकबा 00-10 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 535 रकबा 10-08 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी को घमण्डाराम पुत्र दुदाराम के हिस्से के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 28/05/2018 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र-बैड़कलां सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner